कुलाधिपति
छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर
CHANCELLOR
CHHATRAPATI SHAHU JI MAHARAJ UNIVERSITY, KANPUR

राजभवन, लखनऊ
RAJ BHAWAN, LUCKNOW

Ref. No. ....

Date ....

पाठ्यक्रम में सत्र 2005-06 हेतु सम्बद्धता प्रदान किये जाने के विषय में पूर्व अनुज्ञा प्रदान नहीं की गयी।

उक्त आदेश के विरुद्ध संस्था व्दारा माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद की लखनऊ खण्ड पीठ में याचिका संख्या-2959 (एम/बी)/2006 योजित की गयी जिसमें मा0 न्यायालय व्दारा पारित आदेश दिनांक 26-5-2006 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैं:-

" learned Counsel for the peltitioner states that the college has already completed all the necessary formalities and has sent the matter to the University.

Considering the facts and circumstances of the case, we provide the University shall submit its recommendation with 15 days to the Chaencellor. The Chancellor, Chhatrapati Shahu Ji Maharaj University shall consider and pass appropriate orders on the said recommendations/reports of the University expeditiously."

माननीय उच्च न्यायालय व्दारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में विश्वविद्यालय व्दारा प्रेषित पत्र दिनांक 26-6-2006 में उल्लेख किया गया कि महाविद्यालय व्दारा प्राचार्य एवं शिक्षकों की नियुक्ति हेतु विषय विशेषज्ञ की मांग की गयी और शिक्षकों के चयन हेतु जो आवेदन पत्र एवं बायोडेटा प्रस्तुत किया गया उनमें से कोई भी अभ्यर्थी अर्ह नहीं है। विश्वविद्यालय ने यह भी उल्लेख किया कि महाविद्यालय में शिक्षक न तो पूर्व में उपलब्ध थे और न ही वर्तमान में अर्ह शिक्षक निर्धारित संख्या में कार्यरत हैं। विश्वविद्यालय ने यह भी अवगत कराया है कि संस्था व्दारा माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष सही तथ्य एवं स्थिति प्रस्तुत नहीं की गयी।

सूच्य है कि मा0 उच्च न्यायालय व्दारा एक अन्य याचिका संख्या-28023/2005 में पारित आदेश दिनांक 13-9-2005 में निर्देश दिया गया है कि निर्धारित योग्यता के प्राचार्य/विभागाध्यक्ष एवं निर्धारित संख्या में प्रवक्ताओं की नियुक्ति के उपरान्त ही सम्बद्धता प्रदान की जाय। शासनादेश संख्या-5267/सत्तर-2-2005-2(166)/2002 टी0 सी0 दिनांक 16-11-2005 में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि विश्वविद्यालय स्तर से कुलाधिपति की पूर्व अनुज्ञा के उपरान्त बी0एड0 महाविद्यालयों को सम्बद्धता तभी दी जाये जब वे राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद व्दारा निर्धारित मानकों को पूरा करते हों, विशेष रूप से निर्धारित योग्यता तथा निर्धारित संख्या में प्रवक्ताओं तथा प्राचार्य/विभागाध्यक्ष की नियुक्ति अनिवार्य रूप से कर ली गयी हो। ऐसे बी0एड0 महाविद्यालय जो निर्धारित योग्यता के प्राचार्य/विभागाध्यक्ष तथा निर्धारित योग्यता व निर्धारित संख्या में प्रवक्ताओं की नियुक्ति नहीं करते हैं उन्हें किसी भी दशा में विश्वविद्यालय सम्बद्धता प्रदान नहीं करेंगे।

चूँकि संस्था द्वारा सम्बद्धता हेतु निर्धारित समस्त शर्तो एवं मानकों को पूर्ण नहीं किया गया था तथा महाविद्यालय में कमियॉ/अनियमितताओं के विद्यमान रहते हुए विश्वविद्यालय व्दारा संस्था को सम्बद्धता प्रदान न किये जाने

Dr. S. K. Mishra
CMO NFSG
C G H S Med. Centre
P. H. Annexe New Delhi